यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

ील अपील सख्या /2015(06/2011)	रजू दिनांक 19.05.2015 (21.04.2011)	निर्णय दिनांक 12-02-2024

उनवान

दीप सिंह पुत्र श्री धर्मपाल सिंह जाति राजपूत
न्द पुत्र श्री धर्मपाल सिंह जाति राजपूत..........मृतक
ीना देवी पत्नी स्वर्गीय जोगेन्द्र सिंह जाति राजपूत
मन उर्फ मनीष उम्र 17 साल पुत्र स्वर्गीय जोगेन्द्र सिंह जाति राजपूत.....नाबालिग जरिये रपरस्त माताजी श्रीमती बीना देवी खुद
शवीर उम्र 14 साल पुत्र स्वर्गीय जोगेन्द्र सिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये सरपरत ाताजी श्रीमती बीना देवी खुद
द सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह जाति राजपूत।
न्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह जाति राजपूत।
प सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह जाति राजपूत।
ीत सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह जाति राजपूत।
ीप सिंह पुत्र बिरजू सिंह जाति राजपूत।
क सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत।
न्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत सभी निवासीयान ग्राम चौबारा तहसील नीमराना ला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

अपीलाण्टान।

बनाम

रपंच, ग्राम पंचायत गूगलकोटा पंचायत समिति नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)।
र्मपाल सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत।
कर सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत।
मलेश पुत्री रतन सिंह जाति राजपूत।
ुनिता पुत्री रतन सिंह जाति राजपूत।
मबाई पुत्री रतन सिंह जाति राजपूत।
मसिंह चौहान पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत।
ीमती रेखा चौहान पत्नी श्री हेमसिंह चौहान जाति राजपूत सभी निवासीयान ग्राम चौबारा हसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

रेस्पोडेण्टान।

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 20.06.2007 सरपंच, ग्राम पंचायत गूगलकोटा बाबत इंतकाल संख्या 444 वाके ग्राम चौबारा तहसील,नीमराना

उपस्थितिः– 1 श्री कैलाशचन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्टान/श्री जितेन्द्र सामरिया अपीलाण्टान 6 एवं 7 की ओर से।
2 श्री मकरध्वज शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 7 एवं 8 की ओर से।

ण्ड अधिकारी
ा (कोटपूतली-बहरोड़)

निर्णय

रेस्पोडेण्ट संख्या 7 व 8 द्वारा पेश अवेट प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनुवानी अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 6 रामबाई पुत्री रतन सिंह दिनांक 21.07.2023 को फौत हो चुकी है जिनकी मृत्यू की पूर्ण जानकारी अपीलाण्टान को है लेकिन अपीलाण्टान द्वारा जानबूझकर रेस्पोडेण्ट संख्या 6 का मरम्मत सवाल आज तक पेश नही किया गया है।

कि रेस्पो0 6 की मृत्यू हुए 4 माह हो चुके है। जिसकी जानकारी हम रेस्पो0 द्वारा यालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पेश कर दी जा चुकी है। इसलिए उक्त उनवानी अपील में का का मरम्मत सवाल अपीलाण्टान द्वारा जानबूझकर पेश नही किया गया है जबकि मत सवाल कानूनन 90 दिन की अवधि में पेश करने की जम्मेदारी अपीलाण्टान की होती लेकिन अपीलाण्टान को जानकारी होने के बावजूद भी मृतका रेस्पो0 संख्या 6 का मरम्मत ल जानबूझकर पेश नही किया गया है। इसलिए अपीलाण्टान की अपील अबेट की जाकर रीज किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थना पत्र की नकल अपीलाण्टान को दिलवाई गई। अपीलाण्टान को बार-बार जवाब र्थना पेश करने का अवसर दिया जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया एवं न मृतका रेस्पो0 संख्या 6 का मरम्मत सवाल पेश किया गया। अपीलाण्टान का जवाब प्रार्थना बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अबेट प्रार्थना पत्र में नियत की गई।

प्रार्थना पत्र अबेट पर उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर उभय कारान के अधिवक्तागण की बहस पर गहनता से मनन किया गया एवं पत्रावली पर लब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 07.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 10ए जा0दी0 पेश कर रेस्पो0 संख्या 6 की मृत्यू दिनांक 07.2023 को होने बाबत पत्रावली में पेश किया गया जिस प्रार्थना पत्र की नकल पीलाण्टान को दिलाई गई। जिसके बावजूद भी अपीलाण्टान द्वारा रेस्पो0 संख्या 6 का रम्मत सवाल पेश नही किया जाने पर दिनांक 28.11.2023 को रेस्पो0 संख्या 7 व 8 की ओर अबेट प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी भी नकल अपीलाण्टान को दिलवाई गई लेकिन प्रार्थना पत्र की भी अपीलाण्टान द्वारा कोई जवाब नही दिया गया जिससे यह साफ हीर होता है कि अपीलाण्टान द्वारा उक्त उनवानी अपील की पैरवी के लिए कोई दिलचस्पी दिखा रहे है। अपीलाण्टान को रेस्पो0 संख्या 6 की मृत्यू की पूर्ण जानकारी के बावजूद मृतका का मरम्मत सवाल पेश नही करने की स्थिति में अपील का मैरिट पर निस्तारण या जाना सम्भव नही होने के कारण रेस्पोडेण्टान द्वारा पेश अबेट प्रार्थना पत्र स्वीकार किये ने योग्य है।

अतः रेस्पोडेण्टान द्वारा पेश अबेट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्टान द्वारा पील में रेस्पो0 संख्या 6 रामबाई पुत्री रतन सिंह का जानकारी के बावजूद मरम्मत सवाल श नही करने पर अपील अपीलाण्टान अबेट की जाकर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल मुनर होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12-02-2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले यायालय में सुनाया गया।

12-02-2024

पंकज ~~बडगूजर~~ (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना